

अतिरिक्त कार्यालय-आपापति-दस्तावेज-29/5/2017-30।

उपजिलाधिकारी/अतिरिक्त कलेक्टर, फतेहपुर, बाराबंकी।

बाद संख्या: 155

ग्राम- कुर्ता परगना- कुर्ता

तहसील फतेहपुर, जनपद-बाराबंकी।

इस्टीमेट आफ इन्वायमेंट्स आफ जैविकल निष्पादनकर्ता निमित्तगारोंद

बनाम

तरकार उदार प्रदेग

धारा 143 समोदारी शिनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

जादेग



प्रसंगत प्रकरण में बादी ने गाटा संख्या 1293D/0.768हे० लगान 49.90पैता जो उसके नाम तन् 1409-1414फतली को बातानी बाता संख्या 100 पर दर्ज है, पर कृषि कार्य से अन्व कार्य हेतु घोषित करने का शपथ पत्र के साथ अनुरोध किया है। बादी के अधिबन्ता ने बहत में कहा है कि इसके पूर्व कुछ अन्व नम्बरों को कृषि कार्य से अन्व प्रयोजनार्थ घोषित भी किया जा चुका है इत गाटा नम्बर को भी घोषित कर दिया जाये। फताबली का उक्लोकन किया गया। उक्ल दातानी में बादी के नाम उक्त गाटा नम्बर दर्ज है।

अतः मैं शिवकुमार उपजिलाधिकारी/अतिरिक्त कलेक्टर तहसील-फतेहपुर जनपद बाराबंकी गाटा संख्या 1293D/0.768हे० लगान 49.90पैता स्थित ग्राम कुर्ता परगना कुर्ता तहसील फतेहपुर को बादी के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र तथा पूर्व घोषित प्रकरण को संज्ञान लेते हुये कृषि, उद्यानकरण, कुक्कुट पालन आदि से उतम्बध्द प्रयोजनार्थ घोषित करता हूँ जादेग को एक प्रति उपनिबंधक फतेहपुर एवं तहतवेदार फतेहपुर को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही फताबली तबित राजस्व अभिलेखागार हो

दिनांक: 29-5-2017

उपजिलाधिकारी/अतिरिक्त कलेक्टर  
फतेहपुर- बाराबंकी।

7=7500  
11/6/17

अतिरिक्त जिलाधिकारी (271)

शिव कुमारे सरस्वती गहबर 22/5/17  
गरीब तैयारी 01-6-17  
गदर फोटो धीम 7-6-17  
गदर शुभ 155  
शेखर गहबर गहबर  
शेखर गहबर  
11/6/17

शिव कुमारे सरस्वती गहबर  
उपजिलाधिकारी/अतिरिक्त कलेक्टर  
फतेहपुर- बाराबंकी  
11/6/17



न्यायालय उप जिलाधिकारी फतेहपुर बाराबंकी

इन्स्टीट्यूट आफ इन्वॉयसमेंट आफ मैनेजमेंट निष्पादनकर्ता निखिलेश चन्द

गाँव- 7  
खाता- 143 जमींदारी  
ग्राम- कुर्सी परगना  
तहसील- फतेहपुर

हाजिरा दादा प्रदेस  
गणतन्त्रात्मक न्याय अदालत दिव्यामोदी

न्यायालय उप जिलाधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर फतेहपुर बाराबंकी।  
वाद सं० ०९  
ग्राम- कुर्सी परगना कुर्सी  
तहसील- फतेहपुर, जनपद-बाराबंकी।

इन्स्टीट्यूट आफ इन्वॉयसमेंट आफ मैनेजमेंट निष्पादनकर्ता निखिलेश चन्द

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश

धारा 143 जमींदारी विनाश एवं मूमि व्यवस्था अधिनियम

आदेश

प्रश्नगत प्रकरण में वादी ने गाटा संख्या 1293द/1.255 हे० गू०रा० 31/25 पैसा जो उसके नाम सन् 1409-1414 फसली की खतौनी खाता संख्या 717 पर दर्ज है, पर कृषि कार्य से अन्य कार्य हेतु घोषित करने का शपथपत्र के साथ अनुरोध किया है। वादी के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि इसके पूर्व कुछ नम्बरों को कृषि कार्य से अन्य प्रयोजनार्थ घोषित भी किया जा चुका है, इस गाटा नम्बर को भी घोषित कर दिया जाय। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी में वादी के नाम उक्त गाटा नम्बर दर्ज है।

अतः मैं अशोक कुमार सिंह उप जिलाधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी गाटा संख्या 1293द/1.255 हे० लगान 31.25 पैसा दिखत ग्राम कुर्सी परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर को वादी के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र तथा पूर्व घोषित प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कृषि, उद्यानकरण, कुक्कुर पालन आदि से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ घोषित करता हूँ। आदेश की एक प्रति उप निबंधक फतेहपुर एवं तहसीलदार फतेहपुर को भेजी जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संज्ञित सारगर्भ अमिलेखागार हो।

दिनांक: 20-12-2008



उप जिलाधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर  
फतेहपुर-बाराबंकी।

47

असिस्टेंट कलेक्टर  
फतेहपुर

दिनांक 22/12/08  
वादी के अधिवक्ता का नाम...  
वादी का नाम...  
असिस्टेंट कलेक्टर...  
दिनांक 22/12/08